Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्य[illegible] निर्माण विभाग
''व्यवस्थापन 'घ' वर्ग'' [illegible]ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.[illegible]ADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 409 /63 व्यघ–सा0–मान0/15 दिनांक 5 /04/2016

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिगं रोड़,
देहरादून।

विषयः– **लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह ग के मानचित्रकार के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या– 1711/III (1)/15–56(अधि0)/2008 दिनांक 21.11.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 1711/III(1)/15–56(अधि0)/2008 दिनांक 21.11.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अन्तर्गत 02 वर्ष के अन्दर घटित होने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन सम्बन्धित चयन संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, उक्त की प्रति आपको भी पृष्ठांकित है।

शासन के पत्रांक 1813/III(1)/15–190 (PWD) /2001 दिनांक 15.12.2015 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में संवर्गीय पदों का पुनर्गठन किये जाने पर मानचित्रकार के पूर्व में स्वीकृत 88 पदों के अतिरिक्त 19 पद और सृजित करते हुए कुल– 107 पद स्वीकृत किये गये है।

पूर्व में स्वीकृत 88 पदों के सापेक्ष मानचित्रकार की पूर्व सेवा नियमावली– 1984 के अन्तर्गत रिक्त –38 पदों का अधियाचन सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद को भेजा गया है। शासन के अधिसूचना संख्या– 1139 /III (1)/15–62(अधि0)/2006 दिनांक 27.07.2015 से प्रख्यापित रेखाकार/मानचित्रकार की सेवा नियमावली – 2015 में पदोन्नति से मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति का कोटा 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 1408 /63 व्यघ–सा0/15 दिनांक 24.08.2015 से 13 पदों का अधियाचन आपको प्रेषित किया गया है।

विभाग के पुनर्गठन होने पर शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 21.11.2015 (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में सीधी भर्ती के रिक्त– 18 पदों का अधियाचन प्रपत्र–1 में एवं उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लो0नि0वि0) नियमावली, 2015 की छायाप्रति सहित संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–
1. अधियाचन
2. सेवा नियमावली, 2015 की छायाप्रति
3. शासनादेश संख्या– 1711/III(1) दिनांक 21.11.2015 एंव शासनादेश संख्या– 1813/III(1)दिनांक 15.12.2015 की छायाप्रति

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

अधियाचन प्रपत्र–1

1	(क)	पद का नाम	–	मानचित्रकार
	(ख)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हां तो यह पद कब सृजित किया गया था	–	शासनादेश संख्या– 2054 / पी0डब्लू0डी0 / अधि0 2001–190 पी0डब्लू0डी0–2001 दिनांक 11.07.2001, शासनोदेश संख्या– 1254 / ।।। (1) / 06पी0डब्लू0डी0–2001 दिनांक 12.07.2006 एवं 1768 / ।।।(1) / ।।–190 पी0डब्लू0डी0 /01 दिनांक 12.12.2011 एवं शासनादेश संख्या– 1813 / ।।।(1) / 15–190 पी0डब्लू0डी0 / 2001 दिनांक 15.12.2015
	(ग)	भरे जाने वाले पदों की संख्या	–	18
	1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	–	भू0पू0सै0– 01
	2	अनुसूचित जनजाति के लिए	–	1
	3	पिछड़ी जाति	–	1
	4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	–	शून्य
	5	सेवा के विकलांग एवं सेवा के वियोजित अभ्यर्थियों के लिए	–	अनुसूचित जाति विकलांग– 01
	6	अक्षम अभ्यर्थियों के लिए	–	शून्य
	7	उत्तराखण्ड की महिलाओं के लिए	–	अनुसूचित जाति महिला–01 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला–01 सामान्य महिला –04 योग –06
	8	कुशल खिलाडियों के लिए	–	शून्य
	9	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी	–	शून्य
	10	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए	–	07 भू0पू0सै0– 01 योग– 08
टिप्पणी– क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार है ? यदि हां तो रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाए				
		रोस्टर क्रमांक		
	(क)	अनुसूचित जाति	–	06, 11, 16
	(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	96
	(ग)	पिछड़ी जाति	–	19, 28
	(घ)	सामान्य	–	82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99
(घ)		यदि यह पद नया नही है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है।	–	शासनादेश संख्या– 1813 / ।।।(1) / 15–190 (PWD) दिनांक 15.12.2015 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ाचे में संवर्गीय पदों का पुनगर्ठन होने पर मानचित्रकार के 19 पदों की वृद्धि कर कुल– 107 पद स्वीकृत किये जाने के फलस्वरुप।

	1	क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है।	–	जी नही
	2	यदि हां, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है।	–	लागू नही होता
	3	क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हां तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाय	–	लागू नही होता
	4	यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है तो परिस्थितियों बताई जायें, जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नही जा सकी	–	लागू नही होता
	(क)	क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है	–	अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विचार क्षेत्र में है।
	(ख)	सेवा का नाम यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है	–	उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान संवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली–2015
	(ग)	क्या पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गई है	–	जी हां
	(घ)	यदि नही, तो क्या नियुक्ति ख विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 26/28/65 दिनांक 11 अक्टूबर, 1965 के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक विज्ञप्ति की संख्या और दिनांक बताये।	–	लागू नही
2		राजपत्रित या अराजपत्रित	–	अराजपत्रित
3		यदि पद स्थाई है अथवा अस्थाई, यदि अस्थाई है तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा	–	स्थाई
4		क्या पद पंशन युक्त है अथवा बिना पंशन का	–	शासनादेश संख्या– 21/XXVIIअ0पे0/2015 के अनुसार
5		परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	–	02 वर्ष
6		कर्तव्य	–	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समस्त योजनाओं के ड्राईग एवं डिजाईन के प्रारुप तैयार करना
7		चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यग्रहण करना होगा	–	नियुक्ति के एक माह के अन्दर
8		वेतनमान– बढ़ाया गया, क्या प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है, यदि हां तो किस हद तक।	–	9300–34800 ग्रड वेतन–4200 एवं अनुमन्य भत्ते।
9		निर्वाह निधि	–	शासनादेश संख्या– 21/ XXVII अ0पे0 /2015 के अनुसार
10		कोई विशेष रियायत जैसे मुफ्त क्वार्टर, रोशनी, पानी	–	जी नही
11		अपेक्षित अर्हताएं	–	

	(क)	अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बाते सम्मिलित है	–	(एक) उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा (ख) निम्नलिखित में से कोई या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण– पत्रः– 1. प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा अथवा 2. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड या अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा 3. विधि द्वारा स्थापित भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मानचित्रकार का डिप्लोमा या समकक्षीय उपाधि।
	(ख)	अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो	–	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसन (एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण– पत्र प्राप्त किया हो।
	(ग)	कोई अन्य अर्हतायें	–	कोई नही
	(घ)	यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किसी हद तक ऐसा किया जा सकता है।	–	जी नही
	(ड)	क्या समकक्ष अर्हतायें स्वीकार की जायेंगी यदि हां तो समकक्ष अर्हताएं बताईये।	–	जी नही
12		आयु सीमायें	–	
	(क)	निम्न आयु सीमा	–	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञप्ति जारी की जाए और पहली जुलाई को , यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञप्ति किए जाए, 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए ।

	(ख)	उच्च आयु सीमा	–	42 वर्ष, (क) भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। (ख) स्वंतत्रता सग्राम सेनानियों के आश्रितों को आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। (ग) अक्षम/ विकलांग व्यक्तियों को सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
		(यह बताईये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है तो कितना)		
13		राष्ट्रीयता	–	भरतीय
14		क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है, यदि हां तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाऐगा उन शर्तो को बताईए जो उनके पक्ष में शिथिल की जाएगी	–	आयु सीमा के अन्तर्गत
15		कोई अन्य शर्तो अथवा अर्हता जो उपयुक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नही आती।	–	कोई नही

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग

पद का नाम– मानचित्रकार

जाति	कुल पद	उत्तराखण्ड महिला (30%)	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित (2%)	भूतपूर्व सैनिक (5%)	विकलांग (3%)	राज्य आन्दोलनकारी (10%)	कुशल विशिष्ठ खिलाडियों हेतु (4%)
अनुसूचित जाति	3	1	–	1	1	–	–
अनुसूचित जनजाति	1	–	–	–	–	–	–
अन्य पिछड़ा वर्ग	2	1	–	–	–	–	–
सामान्य	12	4	–	1	–	–	–
योग	18	6	–	2	1	–	–

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
''व्यवस्थापन 'घ' वर्ग'' उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 1400 /63 व्यघ–सामान्य/15 दिनांक 24 /08/2015

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड़,
देहरादून।

विषयः– लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह ग के मानचित्रकार के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि वर्तमान में विभाग में मानचित्रकार के सीधी भर्ती के 51 पद रिक्त है। इस कार्यालय के पत्र संख्या– 97/63 व्यघ–सा0/13 दिनांक 10.02.2014 के द्वारा 38 पदों का अधियाचन सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, पित्थूवाला को प्रेषित किया गया था। प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने पत्र संख्या– 1825/उ0प्र0शि0/स ग म प दिनांक 09.07.2015 से सूचित किया गया है कि उक्त पदों हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है तथा परीक्षा का आयोजन शीघ्र ही किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 188/XXX(2)/2015 दिनांक 13, मई, 2015 के कम में वर्तमान में विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त 51 पदों के सापेक्ष उक्त 38 पदों को छोड़कर शेष रिक्त 13 पदों का अधियाचन प्रपत्र–1 में एवं उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लो0नि0वि0) नियमवाली, 2015 की छायाप्रति सहित संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– 1. अधियाचन
2. सेवा नियमावली, 2015 की छायाप्रति

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग

अधियाचन प्रपत्र–1

1	(क)	पद का नाम	–	मानचित्रकार
	(ख)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हां तो यह पद कब सृजित किया गया था	–	शासनादेश संख्या– 2054/ पी0डब्लू0डी0 / अधि0 2001–190 पी0डब्लू0डी0–2001 दिनांक 11.07.2001, शासनोदेश संख्या– 1254/ III (1)/06पी0डब्लू0डी0–2001 दिनांक 12.07.2006 एवं 1768/ III(1) / II–190 पी0डब्लू0डी0 /01 दिनांक 12.12.2011
	(ग)	भरे जाने वाले पदों की संख्या	–	13
	1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	–	1
	2	अनुसूचित जनजाति के लिए	–	1
	3	पिछड़ी जाति	–	02 भू0पू0सै0– 01 योग– 03
	4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	–	शून्य
	5	सेवा के विकलांग एवं सेवा के वियोजित अभ्यर्थियों के लिए	–	शून्य
	6	अक्षम अभ्यर्थियों के लिए	–	शून्य
	7	उत्तराखण्ड की महिलाओं के लिए	–	अनुसूचित जाति–01 अन्य पिछड़ा वर्ग–01 सामान्य–02
	8	कुशल खिलाडियों के लिए	–	शून्य
	9	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी	–	शून्य
	10	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए	–	03 भू0पू0सै0– 01 योग– 04
टिप्पणी– क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार है ? यदि हां तो रोस्टर के कमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाए				
		रोस्टर कमांक		
	(क)	अनुसूचित जाति	–	93, 01
	(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	72
	(ग)	पिछड़ी जाति	–	91, 98, 07, 14
	(घ)	सामान्य	–	73, 74, 75, 78, 79, 80
(घ)		यदि यह पद नया नही है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है।	–	उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली–2015 की नवीन नियमवाली प्रसारित होने पर भर्ती का स्रोत नियम–5 में पदोन्नति से भरे जाने हेतु 10 प्रतिशत तथा शेष सीधी भर्ती में भरे जाने के प्राविधान के अन्तर्गत एवं चार मानचित्रकारों द्वारा विभाग छोड़े जाने के फलस्वरुप

	1	क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है।	—	जी नही
	2	यदि हां, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है।	—	लागू नही होता
	3	क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हां तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाय	—	लागू नही होता
	4	यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है तो परिस्थितियों बताई जायें, जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नही जा सकी	—	लागू नही होता
	(क)	क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है	—	अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विचार क्षेत्र में है।
	(ख)	सेवा का नाम यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है	—	उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान संवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली–2015
	(ग)	क्या पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गई है	—	जी हां
	(घ)	यदि नही, तो क्या नियुक्ति ख विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 26/28/65 दिनांक 11 अक्टूबर, 1965 के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक विज्ञप्ति की संख्या और दिनांक बताये।	—	लागू नही
2		राजपत्रित या अराजपत्रित	—	अराजपत्रित
3		यदि पद स्थाई है अथवा अस्थाई, यदि अस्थाई है तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा	—	स्थाई
4		क्या पद पंशन युक्त है अथवा बिना पंशन का	—	शासनादेश संख्या– 21/XXVIIअ0पे0/2015 के अनुसार
5		परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	—	02 वर्ष
6		कर्तव्य	—	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समस्त योजनाओं के ड्राईग एवं डिजाईन के प्रारुप तैयार करना
7		चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यग्रहण करना होगा	—	नियुक्ति के एक माह के अन्दर
8		वेतनमान– बढ़ाया गया, क्या प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है, यदि हां तो किस हद तक।	—	9300–34800 ग्रड वेतन–4200 एवं अनुमन्य भत्ते।
9		निर्वाह निधि	—	शासनादेश संख्या– 21/ XXVII अ0पे0 /2015 के अनुसार
10		कोई विशेष रियायत जैसे मुफ्त क्वार्टर, रोशनी, पानी	—	जी नही
11		अपेक्षित अर्हताएं	—	

क्रमशः —3—

	(क)	अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बाते सम्मिलित है	—	(एक) उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा (ख) निम्नलिखित में से कोई या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण– पत्र:– 1. प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा अथवा 2. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड या अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा 3. विधि द्वारा स्थापित भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मानचित्रकार का डिप्लोमा या समकक्षीय उपाधि।
	(ख)	अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो	—	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसन (एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण– पत्र प्राप्त किया हो।
	(ग)	कोई अन्य अर्हतायें	—	कोई नही
	(घ)	यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किसी हद तक ऐसा किया जा सकता है।	—	जी नही
	(ड)	क्या समकक्ष अर्हतायें स्वीकार की जायेंगी यदि हां तो समकक्ष अर्हताएं बताईये।	—	जी नही
12		आयु सीमायें	—	
	(क)	निम्न आयु सीमा	—	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञप्ति जारी की जाए और पहली जुलाई को , यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञप्ति किए जाए, 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए ।

क्रमशः— 4—

	(ख)	उच्च आयु सीमा	–	42 वर्ष, (क) भर्ती के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। (ख) स्वंतत्रता सग्राम सेनानियों के आश्रितों को आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। (ग) अक्षम / विकलांग व्यक्तियों को सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
		(यह बताईये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है तो कितना)		
13		राष्ट्रीयता	–	भरतीय
14		क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है, यदि हां तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाऐगा उन शर्तो को बताईए जो उनके पक्ष में शिथिल की जाएगी	–	आयु सीमा के अन्तर्गत
15		कोई अन्य शर्तो अथवा अर्हता जो उपयुक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नही आती।	–	कोई नही

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग

पद का नाम

जाति	कुल पद	उत्तराखण्ड महिला (30%)	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित (2%)	भूतपूर्व सैनिक (5%)	विकलांग (3%)	राज्य आन्दोलनकारी (10%)	कुशल विशिष्ठ खिलाडियों हेतु (4%)
अनुसूचित जाति	2	1	–	–	–	–	–
अनुसूचित जनजाति	1	–	–	–	–	–	–
अन्य पिछड़ा वर्ग	4	1	–	1	–	–	–
सामान्य	6	2	–	1	–	–	–
योग	13	4	–	2	–	–	–

24/8/15

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग

81-5 51-54

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

PWD Uttarakhand

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Web http://govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-
cepwdua@rediff.com

(2)

पत्रांकः- 97 /63 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 10/02/2014

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
पित्थूवाला, देहरादून।

विषयः- लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हे अधियाचन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि शासनादेश स 1250/III(1)/12-88(अधि0)/10 दिनांक 22.11.2012 द्वारा लोक निर्माण विभाग में मानचित्रकारों रिक्त 22 पदों का अधियाचन इस कार्यालय के पत्र सं0 706/63 व्यघ-सा0/10 दिनांक 31.01.2013 द्व प्राविधिक शिक्षा परिषद को पूर्व में प्रेषित किया गया था। (प्रति संलग्न) परन्तु उक्त पदों की विज्ञा अभी तक प्रकाशित नही हो पाई। वर्तमान में 16 पद मानचित्रकारों के पुनः रिक्त हो गये है। पूर्व प्रेषित पदों एवं अब रिक्त 16 पदों कुल 38 पदों का अधियाचन पुनः संशोधित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे किया जा रहा है।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अपने स्तर से रिक्त पदों पर भर्ती करने कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः- पत्रानुसार

10/2/1

मुख्य अभियन्ता (मुख्यात

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

10/2/14

मुख्य अभियन्ता (मुख्या

सीधी भर्ती– अधियाचन प्रपत्र

1. (क) पद का नाम– मानचित्रकार

(ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हां, तो कब सृजित किया गया था– शासनादेश 2054/पी0डब्लू0डी0/अभि0 2001–190 पी0डब्लू0डी0–2001 दिनांक 11.7.2001, शासनादेश सं0 1254/III(1)/0 (पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 12.7.2006 एवं 1768/III(1)/11–190 (पी0डब्लू0डी0)/01 दिनांक 12.12.2011 द्वारा सृ

(ग) श्रेणीवार पदों का विभाजन–

भरे जाने वाले पदों का विवरण	पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण			
		महिला 30%	विकलांग 3%	पूर्व सैनिक 5%	स्वतंत्रता सं0से0आ0 2%
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित जाति	08	02	–	–	–
अनुसूचित जनजाति	–	–	–	–	–
अ0पि0वर्ग	03	01	–	–	–
सामान्य	27	08	01	01	01
योग	38	11	01	01	01

टिप्पणी– क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार है? यदि हां, तो रोस्टर के क्रमां स्पष्ट उल्लेख किया जायः–

श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
अनुसूचित जाति	51,56,61,66,71,76,81,86
अनुसूचित जनजाति	–
अन्य पिछडा वर्ग	70,77,84
सामान्य	–

(घ) यदि यह पद नया नहीं है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है– नया है।

(च) 1. क्या पद पर किसी की स्थानापन्न नियुक्ति कर दी गयी है– जी नहीं।

2. यदि हां, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रही है– लागू नहीं होता।

3. क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है– लागू नहीं होता।

4. यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है, तो परिस्थितियां बताई जायें जिसमें सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति की जा सकी– लागू नही होता।

(छ) क्या उक्त पद आयोग की परिधि के बाहर है– जी हां।

(ज) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है– लोक निर्माण विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियम 1984

(झ) 1. क्या उक्त पद सम्वर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गई है– जी हां।

2. यदि नहीं, तो उक्त पदो के सृजन विषयक निर्गत शासनादेश/विज्ञप्ति का विवरण बतायें– लागू नहीं होता।

3. पद राजपत्रित या अराजपत्रित है– अराजपत्रित।

4. क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है, यदि अस्थायी है तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा– स्थाई।

5. क्या यह पेशनयुक्त है अथवा बिना पेंशन का – शासनादेश सं0 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 के अनुसार।

6. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो– 02 वर्ष

7. कर्तव्य– निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समस्त योजनाओं के ड्राइंग एवं डिजाईन के प्रारूप तैयार करना।

8. चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यग्रहण करना होगा– नियुक्ति के एक माह के अन्दर।

9. वेतनमान– रू0 9300–34800 ग्रेड पे– रू0 4200 एवं अनुमान्य भत्ते।

10. निर्वाह निधि– शासनादेश सं0 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 के अनुसार।

11. कोई विशेष रियायत जैसे मुफ्त क्वार्टर, विद्युत, पेयजल आदि– जी नहीं।

12. अपेक्षित अर्हतायें– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसमें –

(क) अनिवार्य अर्हतायें जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित है–

नक्शानवीस (एक):– माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवानियमावली सं0 4289/23सा0नि0अनु0–04–84 दिनांक 13.08.84 के परिशिष्ठ (ग) में उल्लिखित कोई कोई परीक्षा या पाठयक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र

(4)

परिशिष्ठ (ग)

(एक) प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड द्वारा वास्तुशिल्पीय सहायक का डिप्लोमा या किसी अन्य राज्य द्वारा प्रदत्त उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा।

या

(दो) विधि द्वारा स्थापित किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी और/ या नक्शानवीस का डिप्लोमा।

या

(तीन) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड द्वारा या किसी अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिकी संस्थानों द्वारा प्रदत्त नक्शानवीस(सिविल) या (यांत्रिक) का डिप्लोमा।

(ख) अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हों– (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो।

(ग) कोई अन्य अर्हतायें– कोई नहीं।

(घ) यदि उपर्युक्त किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक और किस नियम के अधीन ऐसा किया जा सकता है– जी नहीं।

(ड़) क्या समकक्ष अर्हतायें स्वीकार की जायेगी, यदि हां, तो समकक्ष अर्हतायें बताइए– जी नहीं।

13. आयु सीमायें–

(क) निम्न आयु सीमा– विज्ञप्ति जारी करने के वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष।

(ख) उच्च आयु सीमा (यह बताइये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है, तो कितना और किस नियम के अधीन)– 40 वर्ष सामान्य अभ्यर्थी हेतु एवं 05 वर्ष का शिथिलीकरण अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं/पदों में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(घ) अक्षम/विकलांग व्यक्तियों को सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(ड़) कुशल खिलाडियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेंगी।

(च) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोंलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन।

14. राष्ट्रीयता– भारतीय।

15. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है, यदि हां तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा, यदि हां तो उन शर्तों (नियमां सहित) को बताइये जो उनके पक्ष में शिथिल की जायेगी– आयु सीमा के अन्तर्गत।

16. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त प्रश्नों के अर्न्तगत नहीं आती– कोई नहीं।

10/2/14

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम मुख्य अभियन्ता स्तर-II (मु०)
लो० नि० वि०, देहरादून